न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2024 (बांसवाड़ा डिकी)

जग्गुलाल पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती काली पत्नी गौतम, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती तुलसी पत्नी पवन, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. अशोक पिता पवन, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती कला पत्नी बापू, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. हलिया पिता गौतम, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. कालिया पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. रमण पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. प्रकाश पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. पन्ना पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. कैलाश पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाडा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा–[illegible]स्थान काश्त. अधि. 1955 वि[illegible] व डिकी उपखण्ड अधिकारी गढ़ी दिनांक 13.08.2024 प्रकरण संख्या 74/2015

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

उपस्थित :— 1— श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 28—08—2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त पैत्रृक आराजी नंबर 781, 782, 793, 1244, 1245, 2316/2829, 2317, 2318, 2541, 2542, 2544, 2550, 2552, 2583, 2589, 2594, 2696 कुल किता 17 रकबा 1.76 हैक्टर भूमि ग्राम परतापुर में स्थित है। वादीगण के मूलखातेदार थावरा जी थे, जिसकी मृत्यु होने पर भी भूमि थावरा के नाम ही दर्ज रही। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उक्त भूमि खुर्द बुर्द कर विक्रय करने पर उतारू हैं। अतः वाद वर्णित आराजियात में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13—08—2024 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10—10—2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः बक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पक्षकारान अनुसूचित जन[illegible] के [illegible]स्य हैं, जहां भूमि का विभाजन पुरानी विधि से होता है। पक्षकारान [illegible] तथा जी ने वादग्रस्त भूमि निकाली, जिसका पुत्र कचरू है तथा कचरू के पुत्र थावरा व भीखा हुए, जो विवादित भूमि के उत्तराधिकारी हैं। भीखा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

संतान नहीं होने से हीरा के पुत्र अपीलान्ट जग्गूलाल को गोद रखा, जिसका पंजियन दिनांक 26–03–2007 को हुआ। भीखा जी का देहावसान दिनांक 12–12–2013 को हो चुका है, जिसकी भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार है, क्योंकि भीखा जी का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा उसे गोद पुत्र की हैसियत से प्राप्त हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

5. विद्वान पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भीखा के 1/2 हिस्से के गोद पुत्र की हैसियत से अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि इस बाबत् उसका अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउण्टर क्लेम नहीं था, मात्र खण्डन का जवाबदावा था, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियां कायम कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार थावरा पिता कचरा विवादित भूमि का खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 09–08–2006 को हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में गौतम के वारिसों से धारा 53 एवं 88 के तहत दावा प्रस्तुत किया, जिसके खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सजरे भिन्न–भिन्न हैं। वादीगण ने उत्तराधिकार की हैसियत से दावा प्रस्तुत किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया है। उक्त दावा खारिज होने के पश्चात् अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 जग्गूलाल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि वह भीखा का गोद पुत्र है इसलिए भीखा के 1/2 हिस्से का वह खातेदार है, जबकि भीखा के नाम भूमियां कभी भी दर्ज नहीं रही है, बल्कि कचरू पिता [illegible] रही है।

यहां यह देखा जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट जग्गूलाल का काउण्टर क्लेम था या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ दिनांक [illegible]-03–2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

दिनांक 11–06–2019 को तनकियां कायम की गयी हैं। जवाबदावे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण जिसमें अपीलान्ट भी प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में सम्मिलित है, ने दावा खारिज करने की रिलीफ चाही है। खातेदारी घोषणा का प्रतिदावा अपीलान्ट जग्गूलाल का था ही नहीं। अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलाधीन आदेश से परे जाकर प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण का वाद खारिज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से किस प्रकार प्रभावित हैं, यह स्पष्ट नहीं है, जबकि प्रस्तुत अपील में भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का ही निवेदन किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलान्ट किस प्रकार से प्रभावित है, यह स्पष्ट नहीं है, जिससे अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 13–08–2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (seal) सत्यमेव जयते

28.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

जग्गूलाल पिता हीरा, जाति भील, निवासी गांव पाड़ा, परतापुर, तह0 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	बनाम	**श्रीमती काली पत्नी गौतम, जाति भील, निवासी गांव पाड़ा, परतापुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**10/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.........**गढ़ी**... मुकाम...............मुवर्खे.....**.....13**............माह..........**08**..........**2024................**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह......**08**....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश द्विवेदी**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पैरोकार सरकार**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 13—08—2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**28**.......माह.......**08**..........**2025........** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील ... चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested